(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी — मुकाम मेहरड़

बनाम किशन कुमार वगैरह

दावा — नं. 98/2018 — सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05-11-19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण की तलबी/तलबाना आज भी पेश नहीं करने जाहिर है। वकील वादी को आपत्ति में अतिरिक्त अवसर दिया जाकर पुनः हिदायत की जाती है कि वह प्रतिवादीगण की तलबी/तलबाना पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी व जवाब दावा-पत्र O1 R1 CPC दिनांक 29/11/19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	
29-11-19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी द्वारा तलबी आज भी पेश नहीं की गयी। पत्रावली न्यायालय मंत्री पर आदेश के लिये जाकर अवलोकन किया गया। वादी द्वारा पत्र दाखिल दिनांक 12.7.18 को दिनांक प्रतिवादीगण वास्ते तामीलार्थ पर स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया। वादी को प्रतिवादीगण की तलबी पेश करने हेतु न्यायालय से समुचित अवसर दिया गया। परन्तु वादी की ओर से तलबी पेश नहीं करना जाहिर है। इस प्रकार किसी भी पक्षकार को न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करने की अनुमति नहीं है अतः वाद वादी इसी स्तर पर आदेश 9 नियम 5 CPC के प्रावधानों के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली अदम तकमील में खारिज किया जाता है। फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कर दी जावे। तकमील हेतु रीडर को सुपुर्द। उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Yadav
Date: 2019.12.05 16:23:30 IST
Reason: SelfAttested